संख्या- 24/2024/714/58-2024/ 1801676

प्रेषक,

विनय कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ : दिनांक 30 अप्रैल, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार से एस.सी.एस.पी. मद में चतुर्थ किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0-1214.00 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0-809.33 लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश रू0-1256.42 लाख की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल रू0-3279.75 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-09/बजट/2023-24, दिनांक 09.04.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्टह करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार से एस.सी.एस.पी. मद में चतुर्थ किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0-1214.00 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0-809.33 लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश रू0-1256.42 लाख की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल रू0-3279.75 लाख (रूपये बत्तीस करोड़ उन्नयासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

https://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते/ प्रतिबन्धों

1. चूँकि वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। निदेशक वित्त/नियंत्रक वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगें कि इनका उल्लंघन न हो।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4. इस संबंध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 22.03.2024 एवं अन्यव सुसंगत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।

5. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।

6. इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतरू सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

8. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

https://shasanadesh.up.gov.in

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।

12. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व निदेशक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना से आच्छादित केन्द्रांश व राज्यांश की समेकित निधि में जमा है।

13. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक का उत्तरदायित्व रहेगा।

14. विभागाध्यक्ष/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

15. स्वीलकृत की जा रही धनराशि के आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

16. लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

17. लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401007890109 .के) माइक्रो इरीगेशन योजना -"पर ड्रॉप मोर क्रॉप")60.रा/40-(.के

https://snasanadesh.up.gov.in

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2401007890109 माइक्रो -"पर ड्रॉप मोर क्रॉप" .के) इरीगेशन योजना60.रा/40- (.के	27 सब्सिडी	11,56,29,000) रुपये ग्यारह करोड़ छप्पन लाख उनतीस हजार मात्र (
2	083	2401007890109 माइक्रो -"पर ड्रॉप मोर क्रॉप" .के) इरीगेशन योजना60.रा/40- (.के	42 अन्य व्यय	57,71,000) रुपये सत्तावन लाख इकहत्तर हजार मात्र (
	कुल			**12,14,00,000) रुपये बारह करोड़ चौदह लाख मात्र (**

लेखाशीर्ष: 2401007898909 पर")ड्रॉप मोर क्रॉप(माइक्रो इरीगेशन योजना -"

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2401007898909 माइक्रो -"पर ड्रॉप मोर क्रॉप" इरीगेशन योजना	27 सब्सिडी	20,27,28,000) रुपये बीस करोड़ सत्ताईस लाख अट्ठाईस हजार मात्र (
2	083	2401007898909 पर" ड्रॉप मोर क्रॉपमाइक्रो -"	42 अन्य	38,47,000) रुपये अड़तीस लाख सैंतालीस

https://shasanadesh.up.gov.in

		इरीगेशन योजना	व्यय	हजार मात्र (
	कुल			**20,65,75,000) रुपये बीस करोड़ पैंसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र (**

महायोग	32,79,75,000) रुपये बत्तीस करोड़ उनासी लाख पचहत्तर हजार मात्र (

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या **-E-1-17-X-2024-25-दिनांक:29-4-2024** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

संख्या- 24/2024/714(1)/58-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अनु सचिव, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

https://shasanadesh.up.gov.in

6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। द्वारा-निदेशक

7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)

उप सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in